

नियम 97 : आयुक्त को प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेख

- (1) अपील अधिकरण आयुक्त को मामले के ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा, जिन्हें अपील अधिकरण कमीशन के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।
 - (2) मूल दस्तावेज केवल तभी प्रस्तुत किए जाएंगे, जब प्रतिलिपि उद्देश्य की पूर्ति न करती हो या अनुचित व्यय या विलम्ब के बिना प्राप्त न की जा सकती हो तथा अभिलेखों के परिदान और वापसी उचित पावती के अधीन की जाएगी।
-